छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ–5–14/2021/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर,दिनांक 26/03/2021

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर द्वारा बीजापुर जिले के बीजापुर वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 8.706 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– 1. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।
2. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध–1ए/115–871/493, दिनांक 18.02.2021।

---000---

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशंसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानो के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :–

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बीजापुर	बीजापुर	बीजापुर	नुकनपाल	आरक्षित वन	209	1822.748	0.5	0.090
2			बीजापुर	नुकनपाल	आरक्षित वन	211	1690.056	0.5	0.085
3			बीजापुर	नुकनपाल	आरक्षित वन	212	3729.475	0.5	0.185
4			बीजापुर	नुकनपाल	आरक्षित वन	213	2092.025	0.5	0.105
5			मद्देड़	कन्हाईगुड़ा (विरान)	आरक्षित वन	692	1904.767	0.5	0.095
6			मद्देड़	पावरेल	आरक्षित वन	691	2859.03	0.5	0.143
7			मद्देड़	संकनपल्ली	आरक्षित वन	685	2857.108	0.5	0.143
8			भैरमगढ	करैमरका	आरक्षित वन	102	6458.195	0.5	0.323
9			भैरमगढ	तुन्डेर	आरक्षित वन	100	8555.335	0.5	0.428
10			भैरमगढ	तुन्डेर	आरक्षित वन	101	5521.04	0.5	0.276
11			भैरमगढ	नैमेड़	आरक्षित वन	1963	5311.863	0.5	0.266
12			भैरमगढ	नैमेड़	आरक्षित वन	1964	2312.267	0.5	0.116

क्रमशः 2

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
13			भैरमगढ	नैमेड़	आरक्षित वन	1965	6280.265	0.5	0.313
14			भैरमगढ	नैमेड़	आरक्षित वन	1966	4547.472	0.5	0.227
15			आवापल्ली	एंगपल्ली	आरक्षित वन	496	2400.652	0.5	0.120
16			आवापल्ली	एंगपल्ली	आरक्षित वन	521	2039.155	0.5	0.102
17			आवापल्ली	पुन्नूर	आरक्षित वन	460	1481.604	0.5	0.074
18			आवापल्ली	उसूर	आरक्षित वन	535	4569.743	0.5	0.228
19			आवापल्ली	उसूर	आरक्षित वन	538	296.639	0.5	0.015
20			आवापल्ली	उसूर	आरक्षित वन	539	2175.155	0.5	0.109
आरक्षित वन भूमि का योग							**68904.594**	**0.5**	**3.443**
21	बीजापुर	बीजापुर	बीजापुर	धनोरा	संरक्षित वन	P192	3436.747	0.5	0.172
22			बीजापुर	चिन्ना कवाली	संरक्षित वन	P185	1342.503	0.5	0.067
23			बीजापुर	संकनपल्ली	संरक्षित वन	P193	2900.314	0.5	0.145
24			मद्देड़	गिलगिच्चा	संरक्षित वन	P681	1920.11	0.5	0.096
25			मद्देड़	गिलगिच्चा	संरक्षित वन	P682	5662.291	0.5	0.283
26			मद्देड़	पावरेल	संरक्षित वन	P683	913.974	0.5	0.046
27			भैरमगढ	पिनकोंडा	संरक्षित वन	P1990	9443.043	0.5	0.473
28			भैरमगढ	भैरमगढ	संरक्षित वन	P1970	2023.643	0.5	0.101
29			भैरमगढ	भैरमगढ	संरक्षित वन	P1971	2297.726	0.5	0.115
30			भैरमगढ	भैरमगढ	संरक्षित वन	P1972	5597.37	0.5	0.280
31			भैरमगढ	पुसनार	संरक्षित वन	P1989	13121.372	0.5	0.656
32			भैरमगढ	नेलसनार	संरक्षित वन	P1995	1542.393	0.5	0.077
33			भैरमगढ	नेलसनार	संरक्षित वन	P1996	471.591	0.5	0.024
34			भैरमगढ	नेलसनार	संरक्षित वन	P1997	2145.41	0.5	0.107
35			भैरमगढ	नेलसनार	संरक्षित वन	P1998	228.392	0.5	0.011
36			पामेड	टेकमेटला	संरक्षित वन	P918	1234.659	0.5	0.062
37			पामेड	टेकमेटला	संरक्षित वन	P920	3381.317	0.5	0.169
38			पामेड	गलगम	संरक्षित वन	P921	2586.529	0.5	0.129
39			आवापल्ली	एंगपल्ली	संरक्षित वन	P511	2084.8	0.5	0.104
40			आवापल्ली	एंगपल्ली	संरक्षित वन	P512	999.678	0.5	0.050
41			आवापल्ली	आवापल्ली	संरक्षित वन	P483	2750.249	0.5	0.138
42			आवापल्ली	आवापल्ली	संरक्षित वन	P489	3671.823	0.5	0.184
संरक्षित वन भूमि का योग							**69755.934**	**0.5**	**3.489**
43	बीजापुर	बीजापुर	बीजापुर	कोतापल्ली	नारंगी क्षेत्र	OA 1138	2421.97	0.5	0.122
44			बीजापुर	नुकनपाल	नारंगी क्षेत्र	OA 1120	3986.048	0.5	0.200
45			बीजापुर	नुकनपाल	नारंगी क्षेत्र	OA 1123	2250.065	0.5	0.113
46			बीजापुर	नैमेड़	नारंगी क्षेत्र	OA 1094	1345.578	0.5	0.067
47			भैरमगढ	जांगला	नारंगी क्षेत्र	OA 1083	1564.556	0.5	0.078

क्रमशः 3

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
48			भैरमगढ	जांगला	नारंगी क्षेत्र	OA 1084	3871.863	0.5	0.193
49			आवापल्ली	एंगपल्ली	नारंगी क्षेत्र	OA 1222	2300.607	0.5	0.115
50			आवापल्ली	धारावरम	नारंगी क्षेत्र	OA 1213	458.618	0.5	0.023
51			आवापल्ली	धारावरम	नारंगी क्षेत्र	OA 1214	1803.309	0.5	0.090
52			आवापल्ली	दुगईगुड़ा	नारंगी क्षेत्र	OA 1205	3730.502	0.5	0.187
53			आवापल्ली	चेरामंगी	नारंगी क्षेत्र	OA 1210	2205.581	0.5	0.110
54			आवापल्ली	चेरामंगी	नारंगी क्षेत्र	OA 1211	1374.776	0.5	0.068
55			आवापल्ली	नुकनपाल	नारंगी क्षेत्र	OA 1215	3076.599	0.5	0.154
56			आवापल्ली	गलगम	नारंगी क्षेत्र	OA 1204	1630.952	0.5	0.082
नारंगी वन भूमि का योग							**32021.024**	**0.5**	**1.602**

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	बीजापुर	बीजापुर	भैरमगढ	फूलगट्टा	राजस्व वन	6/1	51.244	0.5	0.003
2			भैरमगढ	फूलगट्टा	राजस्व वन	477	58.823	0.5	0.003
3			भैरमगढ	फूलगट्टा	राजस्व वन	456	58.823	0.5	0.003
4			भैरमगढ	फूलगट्टा	राजस्व वन	481	170.100	0.5	0.008
5			भैरमगढ	फूलगट्टा	राजस्व वन	5	250.142	0.5	0.013
6			भैरमगढ	फूलगट्टा	राजस्व वन	3	297.606	0.5	0.015
7			भैरमगढ	फूलगट्टा	राजस्व वन	2/1	714.140	0.5	0.036
8			भैरमगढ	मिरतुर	राजस्व वन	354/1	587.295	0.5	0.028
9			भैरमगढ	भैरमगढ	राजस्व वन	424/1	133.738	0.5	0.007
10			भैरमगढ	भैरमगढ	राजस्व वन	570	224.079	0.5	0.011
11			उसूर	संकनपल्ली	राजस्व वन	484	14.309	0.5	0.001
12			उसूर	संकनपल्ली	राजस्व वन	474	24.488	0.5	0.001
13			उसूर	इलमिड़ी	राजस्व वन	241	24.425	0.5	0.001
14			उसूर	इलमिड़ी	राजस्व वन	87	55.876	0.5	0.003
15			उसूर	उसूर	राजस्व वन	403/1	74.392	0.5	0.004
16			उसूर	उसूर	राजस्व वन	401/1	699.881	0.5	0.035
राजस्व वन भूमि का योग							**3439.361**	**0.5**	**0.172**
कुल योग							**174120.913 (174.120 K.M.)**	**0.5**	**8.706**

उक्त 174.120 कि.मी. लंबे तथा 0.50 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 8.706 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 3.443 हे., संरक्षित वन भूमि 3.489 हे., नारंगी वन भूमि 1.602 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.172 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :—

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नही किया जायेगा ।

3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।

4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौडाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा ।

5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।

6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई कें अंतर्गत ही बिछाई जावेगी ।

7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा ।

8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।

9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा ।

10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जायेगा ।

11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तो का पालन किया जाएगा ।

12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे ।

13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।

14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) से उपरोक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

क्रमशः 5

पृष्ठां.कमांक / एफ–5–14 / 2021 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26 / 03 / 2021

प्रतिलिपि :–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0), भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।

3.मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर छत्तीसगढ़।

4.वनमंडलाधिकारी, बीजापुर वनमंडल छत्तीसगढ़।

5.आवेदनकर्ता, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग